मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक–एफ–3 / 75 / 2015 / 18–5 भोपाल, दिनांक / 11 / 2016

प्रति,

उप नियंत्रक
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल ।

विषय :– रतलाम विकास योजना 2021 में उपांतरण ।

उपरोक्त विषय में विभागीय सुचना दिनांक / 11 / 2016 की हिन्दी की प्रति संलग्न है । कृपया उक्त सूचना का साधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन कर प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियाँ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्न :यथोपरि

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

क्रमांक–एफ–3 / 75 / 2015 / 18–5 भोपाल,दिनांक 8 / 11 / 2016

प्रतिलिपिः–

आयुक्त सह संचांलक नगर तथा ग्राम निवेश की ओर सूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि नगर तथा ग्राम निवेश की बेबसाईट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एव आवास विभाग

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्र. 1579
दिनांक 09/11/16
शाखा Add. Dr (N) T.C
अधीक्षक आयुक्त

308/TC 11/11/16

DD TC

16/11/16.

16.11.16
D Man(S)

website पर तत्काल प्रकाशन करावें

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

// सूचना //

भोपाल, दिनांक 8/11/2016

क्रमांक–एफ–3–75/2015/18–5–मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक सन् 2012), की धारा 23–''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक–एफ–3/75/2015/18–5, दिनांक 12/04/2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित रतलाम विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है :–

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसराक्र	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम बंजली	314/1,	6.000 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय
		योग–	6.000हेक्टेयर		

1. रतलाम विकास योजना 2021 में निहित प्रवधानों के अंतर्गत हवाई पट्टी के 1.8 किलोमीटर परिधि में विकास/निर्माण के पूर्व नागरिक उड्डयन विभाग की अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. भूमि का आवंटन आवासीय प्रोजना हेतु किया गया है। अतः भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, उसमें भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा ।

3. उपरोक्त उपांतरण रतलाम विकास योजना 2021 को एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(सी के साधव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

3/11/2016